एफ 13 499/2014/1-25 विषय: याचिका कमांक 19019 / 2015 हारा श्री महारे किसार जिला- म०प्र० विरूद्ध म०प्र० शासन /वि.प. 2015 पंजी क्रमांक दिनाक-9/12/15 कृपया याचिका का अवलोकन करने का कष्ट करें । माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर खण्ड्पीठ इन्दौर न्यालियर द्वारा श्री / श्रीमती प्राप्त किस्ति मिन जिला-. माज्य द्वारा सदाम पुरुष करने के संबंध में दायर याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई दिनांक 7/12 .2015 को नियत 1. 8 प्रकरण में निम्नांकित को प्रतिवादी बनाया गया है:-प्रमुख अधिव/सचिव,म.प्र.शासन, आदिम जाति क.विभाग, भोपाल (1) आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल (2) कलेक्टर जिला- मध्यप्रदेश . (3) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला- मण्ड अतः याचिका में मध्यप्रदेश शासने की ओर से मीननीय न्यायालय (4) में जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु नस्ती कृपया आयुक्त, आदिवासी विकास को अंकितार्थ प्रस्तुत है ।

1000: - 11/19 19 HIR LOP 19 = 19/2015 - 4/466-5 किलां मादी निर्देश में प्राप्त है किलां मादी निर्देश हैं। पूर्व पृष्ठ से:-विषयांकित प्रकरण में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास - स्विद्धी --- को प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी किये गयं है। प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न है। कृपया शासन नस्ती मूलतः ओ.एस.डी. को अंकिततार्थ प्रस्तुत। सहायक आयुक्त (विधि) नात्ती महरिक क्वमान को 5620/DS/7WD

सकेमुधी—135—उनिसाकेमुधी—19-6-15—20,000

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

P cess Id: 180555/2015

WP/19019/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur ADM. AND I.R.

Fixed for 07-12-2015

WP-DA-6

Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh, Through

Secretary welfare Department Vallabh Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 17-11-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 19019/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Pushpendra Kumar Sen** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/19019/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **07-12-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
End: Copy of Petition

Your faithfully

B

DEPUTY REGISTRAR

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश

कमांक / स्था० -सी / 6111 / 2016 / 2998

भोपाल, दिनांक 6/2/16

नियुक्ति आदेश

याचिका प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 19019/15 श्री पुष्पेन्द्र कुमार सेन, दैनिक लिपिक जिला सीधी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विमाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4/196/2001/25/1 दिनांक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत् सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक—5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सीधी (म0प्र0) को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्ताव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्मलिखित कार्य करेगा :—

प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं द्वा पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया थां, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।

समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।

वाद पत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अमिमाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिमाषक से संपर्क करेगा ।

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवाएगा ।

प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र गेजेंगे :--

(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट ।

(ख) प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप ।

(ग) जन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।

(घ) प्रकरण के विशुद्वीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

 प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।

- 8. जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतयाः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन करना.
- अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय / आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।

E:\VIDHI 2014\om sai ram.docx

5.

6.

1670

- गैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये ।
- 12. प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाये।
- 13. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- 14. प्रमारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- 15. प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च/उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमित मिल जायें और निर्धारित (निहीत) अविध में अपील/रिवीजन प्रस्तुत हो जावे ।



पृष्ठांकन/स्था० 7 -सी/6111/2016/2999 प्रतिलिप:- भोपाल ,दिनांक .(12)16

- 1 महाधिवक्ता जबलपुर, म0प्र0।
- यमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल म०प्र०।
- अप्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म०प्र०।
- 4. कलेक्टर, सीधी म०प्र०।
- अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ), आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, रीवा / जबलपुर म0प्र0, ।
- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सीधी (म0प्र0) प्रमारी अधिकारी की ओर अग्रेषित।साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट)पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को मेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिये। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। आपकी यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी स्थिति रखें। मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थगन हटाने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- प्रभारी अधिकारी, स्था 3-2 शाखा मुख्यालय भोपाल, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु।

आर्दिवाभा विकास मध्यप्रदेश

E:\VIDHI 2014\om sai ram.docx